

18⁰⁷/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वक्त्राथ उप।
वादी व उनके अधिकृत ने प्रार्थना पत्र
पेश कर प्रकरण में पक्षकारों के मध्य
लोक अदालत की भावना से राजीनामा
दे जाने से वाद को जरिये विद्रोह प्रार्थना
पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।
श्री वादी व उनके अधिकृत वाद को
चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वाद वादी
जरिये विद्रोह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता

Am/

है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

SDO

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.